संख्या- 103 /2020/ 663 /चार-2020

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 20 मार्च, 2020**

विषय:-क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र,गोरखपुर द्वारा करायी गयी प्रस्तुतिपरक कार्यशाला की कार्योत्तर प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5208/ सं0नि0-15(12)/2019-20 दिनांक 18 मार्च, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र,गोरखपुर द्वारा करायी गयी प्रस्तुतिपरक कार्यशाला हेतु रू0 79,987/- (रूपये उन्यासी हजार नौ सौ सत्तासी मात्र) की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रू0 79,987/- (रूपये उन्यासी हजार नौ सौ सत्तासी मात्र) की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) समस्त कार्यो का भौतिक सत्यापन कराने तथा भौतिक सत्यापन समिति की रिपोर्ट का अवलोकन कर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।
(3) उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमों पर व्यय विवरण , बिल बाउचर्स सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त धनराशि रू0 79,987/- (रूपये उन्यासी हजार नौ सौ सत्तासी मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्धन-16-नये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना 42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 103 /2020/ 663 (1)/चार-2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
5- गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।